# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

**प्रकरण संख्या :–19/25**

| **प्रार्थी** | **बनाम** | **अप्रार्थी** |
|---|---|---|
| सेन्ट्रल बैक ऑफ इंडिया बोरून्दा, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी हीना कच्छवाहा | | • शंकर सिंह पुत्र मान सिंह 957, रावणा राजपूतों का मोहल्ला, बोरून्दा, तहसील पीपाड़ शहर, जोधपुर<br>• दिलीप सिंह राठौड़ पुत्र मानसिंह रावणा राजपूतों का मोहल्ला, बोरून्दा, तहसील पीपाड़ शहर, जोधपुर<br>• मोहन सिंह पुत्र देवी सिंह राजपूतों एवं लुहारों का बास, गांव बायड़, पोस्ट गगराना, तहसील मेडता, नागौर |

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

**उपस्थिति :–** **आदेश दिनांक:–**23-04-2025

**1–विरेन्द्र सिंह इन्दा अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)**

**आदेश**

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण शंकर सिंह पुत्र मान सिंह व अन्य के विरूद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 12,00,000/–ओवरड्राफ्ट ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण **शंकर सिंह पुत्र मान सिंह** की जायदाद **मकान/प्लॉट पट्टा न. 46, गांव बोरून्दा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 1385.33 वर्गफीट, जिसके उत्तर में प**[illegible] **दक्षिण में रास्ता, सामलाती पोल व चौक, पूर्व में गोविन्द सिंह** [illegible] **में आम** [illegible] **राज की दुकान** [illegible] में रहन [illegible] कर दिया। अप्रार्थी[illegible] बैंक/कम्पनी को

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector and District Magistrate
Date: 2025.04.2[illegible] [illegible]3:47:58 IST
Reason: Approved



RajKaj Ref No.: 14881894

ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 19.06.2024 तक 12,50,879.06/– भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 12,00,000/–ओवरड्राफ्ट ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 19.06.2024 तक 12,50,879.06/– वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्राथीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद **शंकर सिंह पुत्र मान सिंह** की जायदाद **मकान/प्लॉट पट्टा न. 46, गांव बोरून्दा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 1385.33 वर्गफीट. जिसके उत्तर में पर्वतसिंह राजपूत का मकान, दक्षिण में रास्ता, सामलाती पोल व चौक, पूर्व में गोविन्द सिंह राजपूत का मकान,पश्चिम में आम रास्ता, हंसराज की दुकान आया हुआ,** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 23-04-2025 को सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.04.23 13:47:58 IST
Reason: Approved



RajKaj Ref No.: 14881894